<u>न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर</u>

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र संख्याः—49 / 2018

1. भीमा } पुत्रगण फत्ते
2. मानसिंह }
3. मनोज पुत्र धनसिंह
4. कृष्णा पुत्र धनसिंह

जातियान लोधा, निवासी ग्राम जघीना, तहसील व जिला भरतपुर (राज0)

5. पूजा } पुत्रियान धनसिंह
6. प्रतिमा
7. प्रियंका
8. सपना

नाबालिगान व विलायत व रिफाकत भाई स्वयं मनोज पुत्र धनसिंह जाति लोधा निवासी जघीना तहसील व जिला भरतपुर

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

रेवती प्रसाद पुत्र दौजीराम, जाति लोधा निवासी जघीना तहसील व जिला भरतपुर।

—**अप्रार्थी**

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>आदेश</u>

दिनांकः— 26—11—2018

प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए. विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया है कि साविक खसरा नंबर 4077 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम जघीना तहसील भरतपुर में स्थित है। इसका खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण का बाबा गणेश था। जिसका नया नंबर 4562 / 0.07 बनाया है, जो 11 एयर होना चाहिए था, लेकिन 7 एयर दिया गया है, 4 एयर रकबा हाल में कम आया है। प्रार्थीगण के बाबा व पिता की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण एकमात्र वारिस व काबिज हैं। अप्रार्थी हाल खसरा नंबर 4562 / 0.07 हैक्टेयर पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। दिनांक 16.07.2018 को इस प्रकार की धमकी

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगणों को दी गई है। प्राइमाफेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियेन्स प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अंत में प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का अनुतोष प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाहा है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में प्रार्थी संख्या 1 भीमा का शपथ–पत्र भी पेश किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 23.07.2018 को विरुद्ध अप्रार्थी एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई और अप्रार्थी को जरिये नोटिस/रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब किया गया।

अप्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्यों को अस्वीकार कर यह अंकित किया है कि हाल खसरा नंबर 4562/0.07 वाके ग्राम जघीना तहसील व जिला भरतपुर अप्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण का आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है और न ही कब्जा काश्त है। खसरा नंबर 4078 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम जघीना स्थित है जिसका खातेदार हप्पी पिसर मुतबन्ना लुड़िया था। वर्तमान में 4078 का कोई नवीन नंबर बंदोबस्त विभाग ने नहीं बनाया है और प्रार्थी के रकबा को हाल खसरा नंबर 4562/0.07 में शामिल कर दिया है, जिस पर फत्ते का नाम गलत दर्ज कर दिया है। जबकि बंदोबस्त विभाग को इस प्रकार खातेदारी प्रविष्टियां बदलने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा भी प्रार्थी के विरुद्ध एक अन्य मुकदमा/प्रार्थना पत्र उनवानी रेवती बनाम भीमा पेश कर रखा है। प्रार्थीगण का आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नीयत से प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में न होकर अप्रार्थी के हक में बखूबी साबित है। अंत में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अपने जवाब के समर्थन में अप्रार्थी द्वारा अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में हाल जमाबंदी संवत् 2072–2075 पेश की है तथा अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में मौका पर्चा पटवारी जो कि तहसीलदार भरतपुर के आदेश कमांक 852–853 दिनांक 11.09.2017 एवं 893–894 दिनांक 22.09.

2017 की पालना में बनाया गया है, को पेश किया है व प्रार्थना पत्र धारा 136 व 131 एल.आर.एक्ट उनवानी रेवती बनाम सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की प्रति पेश की है। दौराने बहस अप्रार्थी द्वारा साविक व हाल नक्शा, साविक जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस भी न्यायालय के समक्ष पेश की गई। उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। बिन्दुवार विवेचन निम्न प्रकार है –

1. **प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :–** प्रार्थीगण द्वारा यह अंकित किया गया है कि खसरा नंबर 4077 रकबा 14 बिस्वा जिसका हाल खसरा नंबर 4562/0.07 हैक्टयर वाके ग्राम जघीना तहसील भरतपुर के खातेदार काश्तकार हैं। जिस पर अप्रार्थी जबरन कब्जा करना चाहता है। इसके विपरीत अप्रार्थी ने अंकित किया है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नंबर 4078 रकबा 5 बिस्वा का वर्तमान में पृथक से कोई नंबर नहीं बनाया गया है जो कि अप्रार्थी व उसके पूर्वज की खातेदारी का है, जिसको खसरा नंबर 4562/0.07 हैक्टेयर में ही मिला दिया गया है। न्यायालय में प्रार्थी द्वारा पेश की गई हाल जमाबंदी व अप्रार्थी द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र 136 व 131 एल. आर. एक्ट तथा दौराने बहस पेश किये गये नक्शा साविक व हाल, जमाबंदी संवत् 2026 व मिलान क्षेत्रफल का गहनता से अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आता है कि साविक नक्शा एवं हाल नक्शा के अनुसार हाल में बनाया गया खसरा नंबर 4562 की आकृति साविक खसरा नंबर 4078 से हूबहू मिलना प्रतीत होती है। अप्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट अंकित किया है कि खसरा नंबर 4078 अप्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी का है जिसको प्रार्थीगण द्वारा भी अस्वीकार नहीं किया गया है। पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि हाल खसरा नंबर 4562 व 4554 के मध्य मेड मौके पर नही है एवं ये दोनो नम्बर आपस में मिले हुए हैं। खसरा नंबर 4562 व 4554 पर

कब्जा अप्रार्थी रेवती प्रसाद का है और वह अपने पूर्वजों के समय से ही आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। जिससे यह तथ्य साबित हो जाता है कि खसरा नंबर 4562 पर कब्जा अप्रार्थी रेवती प्रसाद का है। प्रार्थीगण का कोई कब्जा उक्त आराजी पर नहीं है और यह भी स्पष्ट है कि मौके के अनुसार खसरा नंबर 4562 साविक खसरा नंबर 4078 से निर्मित हुआ है लेकिन बंदोबस्त विभाग ने त्रुटिपूर्वक उक्त खसरा नंबर को 4077 से बना हुआ दर्शा दिंया है। यद्यपि बंदोबस्त विभाग ने हाल खसरा नंबर 4562 का रकबा 7 एयर निर्मित किया है जो कि खसरा नंबर 4078 रकबा 5 बिस्वा की तुलना 3 एयर वेशी है उक्त वेशी रकबा पर अप्रार्थी का कोई अधिकार व स्वत्व नहीं है। यहां यह तथ्य भी विचारणीय है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने वादपत्र/प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी को कब्जे हटाने बावत् कोई अनुतोष नहीं चाहा है जबकि स्वयं प्रार्थीगण अपनी लिखित बहस में अप्रार्थी को अतिक्रमी होना बताता है। लेकिन अतिक्रमी को बेदखल किये जाने हेतु कोई अनुतोष की मांग प्रार्थीगण के द्वारा नहीं की गई है। प्रार्थीगण स्वयं अप्रार्थी को आराजी पर कब्जा होना मानते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी पर प्रार्थीगण कब्जे पर नहीं हैं जबकि कब्जा अप्रार्थी का है। न्यायिक दृष्टांत 2012(1)RRT - Page 693 व 2012(1)RRT - Page 358(H.C.) में प्रतिपादित है कि ''कब्जे की अनुपस्थिति में स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती''। यहां पर तो प्रकरण में अप्रार्थी का कब्जा आराजी पर वादपत्र पेश होने के पूर्व से ही कायम है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के साथ न्यायिक दृष्टांत 1989 RRD - Page 591, 1984 RRD Page 492, 2011 RRD – Page 563, 2009 RRD – Page 619, 1991 RRD – Page 325 प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण के कब्जे के अभाव में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के हक में बनना नहीं पाया जाता।

2. **सुविधा का संतुलनः–** चूँकि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 4562/0.07 वाके ग्राम जघीना तहसील भरतपुर पर प्रार्थीगण का कब्जा प्रमाणित नहीं है, बल्कि उपरोक्त विवेचनानुसार कब्जा अप्रार्थी का प्रमाणित है। अतः प्रार्थीगण का कोई कब्जा आराजी

पर नहीं होने के कारण यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के हक में साबित नहीं है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्रमाणित नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति कारित होना प्रतीत नहीं होता है।

चूँकि उपरोक्त तीनों बिंदु प्रार्थीगण के हक में प्रमाणित प्रतीत नहीं होते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. काबिल खारिज के है।

अतः आज्ञा है कि –

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा पूर्व जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23.07.2018 निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official